रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 2000/आषाढ़ 10, 1922
No. 141] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 2000/ASADHA 10, 1922

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2000

सं. आर.एस.7/2/99-एल. — राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में निम्नलिखित संशोधन, जिस रूप में उन्हें राज्य सभा द्वारा 15 मई, 2000 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किया गया है, एतद्द्वारा जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं:-

नियम 180क-180ङ

(नए नियम)

नियम 180 के उपरांत, शीर्षक 'विशेष उल्लेख' और निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

विशेष उल्लेख

180 क. सूचना

जो सदस्य राज्य सभा के लोक महत्व के किसी विषय का उल्लेख करना चाहता है, वह विहित प्रपत्र में महासचिव को संबोधित लिखित में सूचना देगा:

परन्तु कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिए ऐसी दो से अधिक सूचनाएं नहीं देगा।

180 ख. **ग्राह्यता की शर्तें**

कोई सूचना ग्राह्य हो सके, इसके लिए उसमें निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायेंगी अर्थात्:-

(i) इसके साथ विशेष उल्लेख का पाठ, जो कि 250 शब्दों से अधिक न हो, संलग्न होगा;

(ii) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः भारत सरकार का विषय न हो;

(iii) उसमें किसी ऐसे विषय का उल्लेख नहीं होगा जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो अथवा जो सत्र के दौरान इस नियम के अधीन किसी सदस्य द्वारा पहले ही उठाये गए विषय के सारतः सदृश न हो;

(iv) उसमें एक से अधिक मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा और वह मुद्दा तुच्छ मामलों से संबंधित नहीं होगा ;

(v) उसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(vi) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयाधीन हो;

(vii) वह हाल की घटना से संबंधित होगा;

(viii) उसमें संसदीय/सलाहकार समिति की कार्यवाहियों का उल्लेख नहीं किया जाएगा;

(ix) उसमें किसी व्यक्ति की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण के बारे में उल्लेख नहीं किया जाएगा; और

(x) उसमें किसी मित्र देश के प्रति अशिष्ट निर्देश नहीं होगा।

180 ग. **सूचनाओं को सभा पटल पर रखने और उनकी वैधता के लिए समय**

(1) किसी दिवस को म.प. 5.00 बजे तक प्राप्त सूचनाओं को सभापति के समक्ष उनके विचारार्थ उस दिवस के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जिस दिन सभा की अगली बैठक है।

(2) उन विषयों से संबंधित सूचनाओं, जिन्हें किसी दिवस विशेष के लिए न चुना गया हो, को सभा की अगली बैठक के लिए सभापति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) सप्ताह, जिसके लिए सूचनाओं को दिया गया था, के दौरान न चुनी गई सूचनाएं सप्ताह के अंत में व्यपगत हो जाएंगी और तत्संबंधी कोई जानकारी सूचना देने वाले सदस्य को नहीं दी जाएगी।

(4) यदि संबंधित सदस्य चाहें, तो वह नई सूचना देकर आगामी सप्ताह के लिए अपनी सूचना को पुनरूज्जीवित कर सकेगा।

180 घ. **विशेष उल्लेख की संख्या पर निर्बंधन**

(1) जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दें तब तक कोई सदस्य सप्ताह के दौरान एक से अधिक विशेष उल्लेख नहीं करेगा;

(2) किसी दिवस के लिए ग्राह्य विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यतः सात से अधिक नहीं होंगी।

180 ङ **सदस्यों द्वारा सहबद्ध करना**

कोई सदस्य जो स्वयं को किसी विशेष उल्लेख के साथ सहबद्ध करना चाहता है, वह सभापति की अनुज्ञा से यह कहते हुए ऐसा कर सकेगा "मैं----------द्वारा किए गए विशेष उल्लेख से स्वयं को सहबद्ध करता हूं" और ऐसा सदस्य उस पर भाषण नहीं देगा।

नियम 169

(i) नियम 169 के खण्ड (vii) 'और' शब्द का विलोप किया जाएगा

(ii) नियम 169 में खण्ड (viii) के उपरांत, निम्नलिखित नए खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

(9) यदि उसमें कोई कथन हो तो सदस्य उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(10) उसमें किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखे गए प्रलेखों अथवा पत्रों के संबंध में चर्चा की मांग नहीं की जाएगी।

(11) उसमें सामान्यतः ऐसे विषयों के संबंध में जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो किसी संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन हों;

(12) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा;

(13) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः भारत सरकार का विषय न हो;

(14) उसमें ऐसे विषय नहीं उठाए जाएंगे जो ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण में हो जो भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों;

(15) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जिसका मंत्री से आधिकारिक रूप से संबंध नहीं हो;

(16) उसमें किसी मित्र देश के प्रति अशिष्ट उल्लेख नहीं होगा;

(17) वह मंत्रिमंडलीय चर्चा या किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके बारे में सांविधानिक, सांविधिक अथवा पारंपरिक दायित्व है कि सूचना न दी जाए, जैसे गोपनीय स्वरूप के विषयों के बारे में सूचना देने के संबंध नहीं होगा;

(18) उसमें तुच्छ विषयों के संबंध में जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

नियम 267

वर्तमान नियम 267 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा:-

"कोई सदस्य, सभापति की सहमति से, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि उस दिन राज्य सभा के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित किसी प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि यह नियम उस मामले में लागू नहीं होगा जहां नियमों के किसी विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलम्बन के लिए पहले ही कोई विशिष्ट उपबंध किया गया हो।"

नियम 278-285

(नए नियम)

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के अध्याय 22 के उपरांत निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा:-

अध्याय 23

सामान्य प्रयोजन समिति

278. सामान्य प्रयोजन समिति

एक सामान्य प्रयोजन समिति होगी।

279. गठन

(1) समिति में सभापति, उप सभापति, उप-सभाध्यक्षों की तालिका के सदस्य, राज्य सभा की सभी संसदीय स्थायी समितियों के अध्यक्ष, राज्य सभा में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और ऐसे अन्य सदस्य, जो सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किये जायें, होंगे। सभापति समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित समिति, नई समिति के नाम-निर्देशित होने तक कार्य करती रहेगी।

(3) समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति द्वारा की जायेगी।

280. गणपूर्ति

समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या के लगभग एक-तिहाई होगी।

281. कृत्य

समिति का कृत्य सभापति द्वारा सभा के मामलों से संबंधित ऐसे विषयों पर जो इसे समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायें, विचार करना और सलाह देना होगा।

282. निर्णयों का अभिलेख

समिति के निर्णयों का अभिलेख रखा जायेगा और सभापति के निदेश के अधीन समिति के सदस्यों को परिचालित किया जायेगा।

283. विशेष प्रतिवेदन

समिति, यदि उचित समझती है, तो वह अपने कार्य के दौरान, उठने वाले या प्रकाश में आने वाले किसी मामले पर जिसे वह सभापति या सभा की जानकारी में लाना आवश्यक समझे एक विशेष प्रतिवेदन तैयार कर सकेगी। इस बात के होते हुए भी कि इस तरह का मामला इससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है या इसके विचारणीय विषय के अन्तर्गत नहीं आता या आनुषंगिक नहीं है।

284. प्रतिवेदन का उपस्थापन

समिति का प्रतिवेदन उपसभापति द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

285. विस्तृत नियम बनाने की शक्ति

समिति सभापति के अनुमोदन से इस अध्याय के नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों की अनुपूर्ति हेतु प्रक्रिया संबंधी विस्तृत नियम बना सकेगी।

आर. सी. त्रिपाठी, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2000

No.RS. 7/2/99-L — The following amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) as adopted by the Rajya Sabha at its sitting held on 15th May, 2000, are hereby published for general information:-

Rules 180A - 180E
(New Rules)

After Rule 180, the heading '**Special Mention**' and the following Rules be inserted, namely:-

Special Mention

180A. Notice

A member who wishes to mention a matter of Public Importance in the Council shall give notice in writing addressed to the Secretary-General in the prescribed form:

Provided that no member shall give more than two such notices for any one sitting.

180B. Conditions of admissibility

In order that a notice may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:-

(i) it shall be accompanied by a text of the special mention not exceeding 250 words;

(ii) it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the Government of India;

(iii) it shall not refer to a matter which has been discussed in the same session or which is substantially identical to the matter already raised by a member under this rule during the session;

(iv) it shall not raise more than one issue and the issue shall not pertain to trivial matters;

(v) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements;

(vi) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;

(vii) it shall be restricted to a matter of recent occurrence;

(viii) it shall not refer to proceedings of a parliamentary/consultative Committee;

(ix) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity; and

(x) it shall not refer discourteously to a friendly foreign country.

180C. Time for tabling Notices and their Validity

(1) Notices received upto 5.00 p.m. on a day shall be placed before the Chairman, for his consideration, for the day on which there is next sitting of the Council.

(2) Notices on subjects that have not been selected for a particular day shall be carried forward for consideration of the Chairman for the next sitting of the Council.

(3) Notices not selected during the week for which they have been given, shall lapse at the end of the week and no intimation thereof shall be given to the member giving the notice.

(4) Members concerned may revive their notice(s) for the following week if they so desire by giving a fresh notice.

180D. Restriction on number of Special Mention

(1) Unless the Chairman otherwise directs, no member shall make more than one Special Mention during a week.

(2) Total number of Special Mentions to be admitted for a day shall not ordinarily exceed seven

180E. Members to Associate

Any member who proposes to associate himself with a particular Special Mention may do so with the permission of the Chairman stating "I associate myself with the Special Mention made by ---------- " and such a member shall not make a speech thereon.

Rule 169

(i) In clause (vii) of rule 169, the word 'and' shall be omitted.

(ii) In rule 169, after clause (viii), the following new clauses shall be added, namely:-

(ix) If it contains a statement the member shall make himself responsible for the accuracy of the statement;

(x) It shall not seek discussion on a paper or document laid on the Table by a private member;

(xi) It shall not ordinarily relate to matters which are under consideration of a Parliamentary Committee;

(xii) It shall not ask for expression of opinion or the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition ;

(xiii) It shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Government of India;

(xiv) It shall not raise matter under the control of bodies or persons not primarily responsible to the Government of India;

(xv) It shall not relate to a matter with which a Minister is not officially concerned;

(xvi) It shall not refer discourteously to a friendly foreign country;

(xvii) It shall not relate to or seek disclosure of information about matters which are in their nature secret such as Cabinet discussions or advice given to the President in relation to any matter in respect of which there is a Constitutional, statutory or conventional obligation not to disclose information; and

(xviii) It shall not relate to a trivial matter.

Rule 267

Following rule be inserted in place of the existing rule 267:-

"Any member, may, with the consent of the Chairman, move that any rule may be suspended in its application to a motion related to the business listed before the Council of that day and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being:

Provided further that this rule shall not apply where specific provision already exists for suspension of a rule under a particular chapter of the Rules."

Rules 278 - 285
(New Rules)

After Chapter XXII of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha), the following chapter be added:-

Chapter XXIII
General Purposes Committee

278.General Purposes Committee

There shall be a General Purposes Committee.

279. Constitution

(1) The Committee shall consist of the Chairman, the Deputy Chairman, Members of the Panel of Vice-Chairmen, Chairmen of all Standing Parliamentary Committees of Rajya Sabha, Leaders of recognised Parties and Groups in Rajya Sabha and such other Members as may be nominated by the Chairman. The Chairman shall be the *ex-officio* Chairman of the Committee.

(2) The Committee nominated under Sub-rule(1) shall hold office until a new Committee is nominated.

(3) Casual vacancies in the Committee shall be filled by the Chairman.

280.Quorum

In order to constitute a sitting of the Committee, the quorum shall be, as near as may be, one third of the total number of Members of the Committee.

281. Functions

The functions of the Committee shall be to consider and advise on such matters concerning the affairs of the House as may be referred to it by the Chairman from time to time.

282. Record of decisions

A record of the decisions of the Committee shall be maintained and circulated to members of the Committee under the direction of the Chairman.

283. Special Report

The Committee may, if it thinks fit, make a special report on any matter that arises or comes to light in the course of its work which it may consider necessary to bring to the notice of the Chairman or the House, notwithstanding that such matter is not directly connected with, or does not fall within or is not incidental to, its terms of reference.

284. Presentation of Report

The Report of the Committee shall be presented to the Council by the Deputy Chairman or in his absence, by any Member of the Committee.

285. Power to make detailed rules

The Committee may with the approval of the Chairman make detailed rules of procedure to supplement the provisions contained in the rules in this Chapter.

R. C. TRIPATHI, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054